कार्यालय : प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, बरूआसागर, झाँसी।

पत्रांक : डायट / वि.बी.टी.सी. 2008 (सामान्य चयन) / / 2009–10 / दिनांक :

विज्ञप्ति

विशिष्ट बी.टी.सी. 2008 (सामान्य चयन) के संदर्भ में निर्गत शासनादेश संख्या 1186/15.11.2008 दिनांक 14 नवम्बर 2008 एवं माननीय उच्च न्यायालय के विभिन्न आदेशों के अनुपालन में निर्गत शासनादेशों के प्रति प्रकाशित विज्ञप्ति के क्रम में प्राप्त आवेदन पत्रों में अंकित विवरण के आधार पर जनपद–झांसी हेतु निर्धारित 80 सीटों के सापेक्ष रिक्त 03 (महिला/कला/विकलांग–01, महिला/कला/अनु0 जाति–01, परुष/विज्ञान/अन्य पिछड़ा वर्ग–01) के बीस गुना अभ्यर्थियों की चतुर्थ जांच सूची निर्गत कर दी गयी है। सम्बंधित सूची एवं कट ऑफ मेरिट संस्थान, जिला विद्यालय निरीक्षक, झाँसी के कार्यालय तथा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, झांसी के कार्यालय के सूचना पट पर चस्पा है। इस जांच सूची के अभ्यर्थी website-http//jhansi.nic.in पर या www.scertup.org के home page पर बने "link of the first list for verification of original Documents" पर क्लिक करके देख सकते है। सूची से संबंधित अभ्यर्थी अपने मूल शैक्षिक अंकपत्र व प्रमाणपत्र, जाति प्रमाण पत्र/शिक्षामित्र संबंधी प्रमाणपत्र/निवास प्रमाण पत्र तथा उनके दो सेट छायाप्रति (स्वप्रमाणित) एवं पासपोर्ट साइज के दो नवीनतम फोटोग्राफ, दो फाइल कवर और टैग के साथ निम्नलिखित समय सारिणी के अनुसार संस्थान में प्रातः 10:00 बजे उपस्थित हों।

चतुर्थ जांच सूची की कट आफ मेरिट का विवरण

वर्ग/श्रेणी	कट आफ मेरिट	जांच की तिथि	छूटे हुये अभ्यर्थी
महिला/कला/विकलांग	229.02	29.03.2010	30.03.2010
महिला/कला/अनु0 जाति	205.89	29.03.2010	30.03.2010
पुरुष/विज्ञान/अन्य पिछड़ा वर्ग	237.19	29.03.2010	30.03.2010

- जारी की गयी चतुर्थ जांच सूची किसी भी रूप में चयन सूची नही है। यह मात्र मूल प्रमाण पत्रों की जांच हेतु आमंत्रित किये जाने वाले अभ्यर्थियों की सूची है तथा इसमें सम्मिलित अभ्यर्थियों को विशिष्ट बी.टी.सी 2008 (सामान्य चयन) में चयन हेतु स्वतः कोई दावा नही होगा। यदि अभ्यर्थी निर्धारित तिथि को संस्थान में जांच हेतु उपस्थित नही होते हैं तो भविष्य में उनके अभ्यर्थन के प्रति विचार नही किया जायेगा और इसके लिये वे स्वयं उत्तरदायी होंगे तथा उनका अभ्यर्थन निरस्त करते हुये वरीयता क्रम में अगले अर्ह अभ्यर्थी के अभ्यर्थन पर विचार किया जायेगा तथा भविष्य में उनके किसी दावे को स्वीकार नही किया जायेगा। जारी जांच सूची के मेरिट के अन्तर्गत आने वाले अर्ह अभ्यर्थी जिनका नाम जांच सूची में सम्मिलित न हो, वे अपना प्रत्यावेदन दिनांक 27.03.2010 तक संस्थान के कार्यालय में आवेदन पत्र के समस्त संलग्नको की छायाप्रति एवं पंजीकृत डाक रसीद के साथ उपलब्ध करा सकते हैं। तिथि 27.03.2010 के उपरान्त किसी भी अभ्यर्थी का प्रत्यावेदन स्वीकार नही किया जायेगा।

- जारी की गई चतुर्थ जांच सूची मा. उच्च न्यायालय/मा. उच्चतम न्यायालय के आदेश एवं किसी भी लिपिकीय त्रुटि के संज्ञान के अधीन होगी।

(बी. पी. पटेल)
प्राचार्य
जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान,
बरूआसागर, झाँसी।